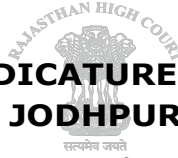




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5355/2026

Shankarlal S/o Heeralal, Aged About 45 Years, R/o Kharka, P.S.
Gingla, District Salumbar, At Present R/oawri Mata Colony,
Central Colony, Udaipur Raj.
(At Present Lodged In Central Jail Udaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4619/2026

Satyanarayan S/o Bhanwarlal, Aged About 40 Years, Resident Of
Ramakhera, Thana Chanderiya, District Chittorgarh Raj.
(Presently Lodged At Central Jail Udaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gaurav Nagda Mr. JVS Deora
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/05/2026

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से जमानत ये दोनों आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना **कुराबड़, जिला उदयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **43/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **318(4), 338, 336(4), 340(2), 61(2)** भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुए हैं।
02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का तर्क है कि इस मामले में फर्द बेयनामा करवाने के लिए दस्तावेज तैयार कर लिये जाना परन्तु मुस्तगीस पक्ष को



जानकारी हो जाने से उसका विरोध करने से रजिस्ट्री नहीं होना प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रार्थी-अभियुक्त शंकर लाल दिनांक 11.04.2026 से तथा प्रार्थी-अभियुक्त सत्यनारायण दिनांक 29.03.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। सहअभियुक्त शम्भूसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5843/2025 इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 28.05.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का मामला सहअभियुक्त शम्भूसिंह से गंभीर नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। सह-अभियुक्त शम्भूसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या 5843/2025 इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 28.05.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का मामला सहअभियुक्त शम्भूसिंह से भिन्न नहीं होना बताया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त शंकर लाल दिनांक 11.04.2026 से तथा प्रार्थी-अभियुक्त सत्यनारायण दिनांक 29.03.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1.शंकरलाल पुत्र हिरालाल, 02. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J